जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 8141 / 2025 दिनांक 02 मई, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध, सम्बन्धित महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता हेतु आख्या एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयानुक्रम में सूच्य है कि पूर्व शैक्षणिक सत्रों में सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित समस्त विषयों / पाठ्यक्रमों, जिनकी स्थायी सम्बद्धता कमियाँ परिलक्षित होने के कारण प्राप्त नहीं है, उन महाविद्यालयों से सम्बन्धित विषयों / पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता बनाये रखने हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांकः 26 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न सम्बद्धता समिति बैठक में लिये गये निर्णयानुक्रम में अधोलिखित प्रपत्रों / अभिलेखों के साथ सम्बद्धता विस्तरण हेतु निर्धारित शुल्क रु0– 10,000 / – के साथ **विश्वविद्यालय के खाता संख्या–50100452471775, आई0एफ0एस0सी0 कोड–HDFC0001885** में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें:–

क्र.	विवरण	अभिलेख की स्थिति
1	महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति / ट्रस्ट का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र	
2	महाविद्यालयीय प्रबन्ध समिति का विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुमोदन पत्र	
3	खतौनी	
4	नजरी नक्शा	
5	ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण–पत्र	
6	शिक्षक अनुमोदन पत्र	
7	अनुमोदित शिक्षकों का संविदा विस्तार (यदि लागू हो)	
8	प्राचार्य / प्राध्यापकों को दिये जा रहे वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट / पासबुक की छायाप्रति	
9	सी0ए0 की रिपोर्ट	
10	महाविद्यालय / समिति के खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेन्ट	
11	नेशनल बिल्डिंग कोड का नवीनतम प्रमाण पत्र	
12	अग्निशमन का नवीनतम प्रमाण पत्र	
13	प्रस्तुत किये जा रहे प्रपत्रों / अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में रु0– 10 / – का नोटरी शपथ पत्र	

अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यथासम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्रबन्धक से अपेक्षा की जाती है कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता बनाये रखने के प्रकरण पर नियमानुसार विचार करने हेतु बिन्दुवार अभिलेख / प्रपत्र प्रत्येक दशा में दिनांकः 10 मई, 2025 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित महाविद्यालय में संचालित विषयों / पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता विस्तरण नहीं प्रदान करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार उचित निर्णय ले लिया जायेगा तथा यदि महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित विषयों / पाठ्यक्रमों में बिना सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाता है, तो उन प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षादि विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव